"राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026" से प्रदेश को मिलेगी वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक पहल

-कार्यालय संवाददाता-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- निवेश, रोजगार, कौशल और तकनीकी नवाचार की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम
- केन्द्रीय बजट में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

जयपुर । तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीक की रीढ़ बन चुके सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में "राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026" जारी कर ऐतिहासिक पहल की गई है।

इस नीति के जरिए ना केवल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को भी नई दिशा मिलेगी।

वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर उद्योग निर्णायक बन रहा है। यह नीति राजस्थान को देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाने तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट (वै्।ज्) के साथ असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एण्ड पैकेजिंग (।ज्डच्) और सेंसर्स के क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति सेमीकंडक्टर के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही उच्च तकनीक पर आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित भी करेगी।

राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026 केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होकर इससे जुड़ी पूरी वेल्यू-चेन को कवर करती है। नीति के तहत सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे सभी चरण शामिल किए गए हैं, जिससे राजस्थान में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा। इसी के मद्देनजर जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकणी औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। इससे उद्योगों को भूमि आवंटन व सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। साथ ही, विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास और फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैचरिंग पैकेज के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क व भू-रूपान्तरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। साथ ही, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत अनुदान एवं पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स की लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण, कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट एवं राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।देश में मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। केन्द्रीय बजट में भी "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0" के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव' के लाभ भी दिए जा रहे हैं। ये कदम देश को तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों के साथ खडा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं और राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026 के जरिए प्रदेश इस मैराथन में अपना अहम योगदान देने जा रहा है।

खनन विभाग का फोकस अगले 7 दिन तय राजस्व संग्रहण लक्ष्य हासिल करने पर : अपर्णा अरोरा

12 प्रतिशत विकास दर के साथ गत वर्ष से 1000 करोड़ रु. अधिक राजस्व संग्रहित किया

-कार्यालय संवाददाता-

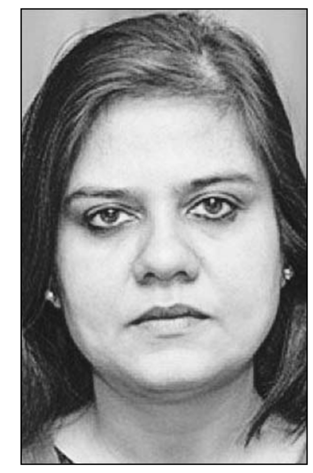

- राजस्व संग्रहण के सभी संभावित क्षेत्रों से कारगर वसूली करके 1550 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास

23 मार्च तक 9620 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित कर चुके : अरोरा

जयपुर । अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने खान विभाग के फील्ड अधिकारियों को आगामी 7 दिनों में मार्च माह के निर्धारित 1550 करोड़ रुपए के लक्ष्यानुसार शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन गतिविधियों कार्रवाई के दौरान की जुर्माना राशि वसूलने, आरसीसी - ईआरसीसी ठेकों के ऑक्शन व देय रॉयल्टी की वसूली, एसएमई स्तर पर राजस्व संग्रहण की दैनिक समीक्षा, विश्लेषण व मार्गदर्शन, मुख्यालय स्तर से नियमित समीक्षा व राजस्व वसूली में कमी वाले कार्यालयों से समन्वय व वसूली में तेजी लाने, पुरानी बकाया की वसूली और करन्ट बकाया की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व संग्रहण के सभी संभावित क्षेत्रों से वसूली के कारगर प्रयास किये जाने हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव खान अपर्णा अरोरा मंगलवार को सचिवालय से राजस्व लक्ष्यों की वसूली के संबंध में हाईब्रीड मोड़ पर फील्ड अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रही थी। उन्होंने बताया कि 12 प्रतिशत विकास दर के साथ 23 मार्च तक 9620 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है यह गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि खान विभाग राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों में से एक हैं ऐसे में राजस्व संग्रहण में किसी भी स्तर पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

अरोरा ने कहा कि आगामी सात दिनों में विभाग का प्रमुख फोकस राजस्व संग्रहण होने के साथ ही आरसीसी-ईआरसीसी ठेकों की नीलामी सुनिश्चित कराने, अवैध खनन पर कडी कार्रवाई पर ध्यान देना होगा। हाईब्रीड बैठक के दौरान उन्होंने एसएमई स्तर के सभी अधिकारियों से संवाद कायम किया और राजस्व वसूली के कारगर प्रयासों के निर्देश दिए। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर ने राजस्व वसूली लक्ष्यों और उनके अनुसार वसूली प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने राजस्व संग्रहण के विभागीय रोडमैप की जानकारी देते हुए विश्वास दिलाया कि मार्च माह के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाएगा।

हाईब्रीड बैठक में विशेषाधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा, वितीय सलाहकार सुरेश चन्द्र व विभाग के अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता और सहायक खनि अभियंता स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

व्हाट्सएप के जरिए भेजा नोटिस सीआरपीसी के तहत वैध नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने को अवैध ठहराया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल व्हाट्सएप के जरिए भेजा नोटिस कानूनी तौर पर सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत वैध नहीं है। वहीं ऐसे नोटिस के आधार पर की गई गिरफ्तारी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा के बिंदु पर 6 अप्रैल को पेश होने को कहा है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश आरएसएलडीसी में हुए घूसकांड से जुडे मामले में रवि मीणा की अवमानना याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि नोटिस की तामील कानून में निर्धारित प्रक्रिया यानि व्यक्तिगत तामील, चस्पा और स्पीड पोस्ट आदि से ही होनी चाहिए। यदि आरोपी नोटिस का पालन करता है, तो उसे बिना ठोस कारण गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।

याचिका में अधिवक्ता अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि मामले में एसीबी ने याचिकाकर्ता को एक फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले एसीबी के जांच अधिकारी ने 25 जनवरी, 2023 को उसे व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा और 31 जनवरी को पेश होने के लिए कहा। इस पर उसने एसीबी के नोटिस का जवाब देते हुए अपनी पत्नी की बीमारी के कारण समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ही उसे सीधे ही गिरफ्तार कर लिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 41 ए की अवहेलना है और मामले में कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। इसके जवाब में एसीबी ने कहा कि उन्होंने आरोपी को नोटिस दिया था, लेकिन उसने जवाब में टालमटोल का रवैया रखा। इसके अलावा याचिकाकर्ता एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और असफल रहे हैं। इसके बाद ही अनुसंधान एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए उसने यह अवमानना याचिका दायर की है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर एसीबी की गिरफ्तारी की कार्रवाई को गलत मानते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तलब किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चाचाजी का निधन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चाचाजी रामचरण लाल शर्मा का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और मानसरोवर स्थित अमर हॉस्पिटल में उनका उपचार जारी था। मंगलवार को सीएमओ से रवाना होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानसरोवर स्थित अस्पताल पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्व. चाचाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दुख की इस घड़ी में हिम्मत बनाए रखने की बात कही। परिजनों और नजदीकी लोगों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कुछ समय तक अस्पताल में रहे।

छात्रसंघ चुनाव को लेकर आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति अल्पना कटेजा से जवाब तलब किया

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर विवि की कुलपति अल्पना कटेजा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश नीरज खींचड की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तुषार पंवार ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 19 दिसंबर को छात्रसंघ चुनाव कराने के संबंध में दायर याचिका को निस्तारित किया था। इस दौरान अदालत ने विवि प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वह 19 जनवरी, 2026 को चुनाव के संबंध में बैठक करे और उसके पन्द्रह दिन में इस बैठक में हुए निर्णय को नोटिफाई करे।

अवमानना याचिका में कहा गया कि विवि प्रशासन ने बैठक के निर्णय को तय अवधि बीतने के बाद भी नोटिफाई नहीं किया है। इससे जाहिर होता है कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर अदालती आदेश की अवमानना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित करते हुए आदेश की पालना कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विवि की वीसी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

"टीबी मुक्त भारत अभियान" का शुभारंभ

जयपुर (कासं)। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राज्य में टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय का शुभारंभ सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की उपस्थिति में किया गया।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि टीबी (क्षय रोग) केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से व्यक्ति एवं परिवार को प्रभावित करने वाली गंभीर चुनौती है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 1 करोड़ 75 लाख से अधिक संभावित टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य में चिन्हित उच्च जोखिम वाले ग्रामों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एवं टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है।

खींवसर ने कहा कि यह 100 दिवसीय अभियान जनभागीदारी के माध्यम से जनआंदोलन का रूप लेगा तथा प्रत्येक मरीज तक समय पर जांच एवं उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा नोएडा में किए गए शुभारंभ कार्यक्रम को ऑनलाइन वीसी के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों और जन समुदाय के साथ सुना और टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट का वितरण भी किया।

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान ने डेटा एवं तकनीक आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए उच्च जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है। राज्य के 11 हजार 184 चिन्हित ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से टीबी उन्मूलन की गति को और तेज किया जाएगा। मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से टीबी के साथ-साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य गैर-संचारी रोगों की भी जांच की जाएगी, जिससे आमजन को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। निदेशक जन स्वास्थ्य, डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने शिविरों में 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी, जिसमें टीबी स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स, छाती का एक्स-रे शामिल होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों को तय आरक्षण नहीं देने पर जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अनुदेशक भर्ती-2024 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए तय आरक्षण से कम सीटें आरक्षित रखने पर आरपीएससी सचिव और चेयरमैन सहित स्किल व प्लानिंग सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती की नियुक्तियों को अपील के निर्णयाधीन रखा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रविन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से 63 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती में 5 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे थे। जबकि नियमानुसार आयोग को 8 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखने थे। याचिकाकर्ता ने भर्ती में भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन किया था, लेकिन तय संख्या में पद आरक्षित नहीं होने के कारण उसका चयन नहीं हो सका। याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षा से पहले 22 अक्टूबर, 2024 को आयोग को इस विसंगति के संबंध में अवगत करा दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कार्रवाई नहीं की गई। वहीं एकलपीठ ने उसकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में भाग ले चुका है तो अब वह चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता। याचिका में गुहार की गई कि एकलपीठ का आदेश रद्द करते हुए आरपीएससी को निर्देश दिए जाए कि वह तय अनुपात में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे।

नाबालिग छात्रा से गैंगरेप

जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में एक 9वीं क्लस की नाबालिग छात्रा से गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के बयानों के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।

गौरतलब है कि 9वी क्लास में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा पिछले सप्ताह लापता हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी सहायता के आधार पर नाबालिग छात्रा को दिल्ली से दस्तयाब कर लिया।

पुलिस पूछताछ में सामने आया की उसकी सहेली ने एक युवक से उसकी जान पहचान कराई थी। गत पांच दिन पहले आरोपी युवक ने उसे मिलने का झांसा देकर बुलाया और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया और दोनो ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी ने इस बारे में किसी को बताने पर मारने की धमकी देकर डराया। धमकाने पर पीड़ित डर गई और दिल्ली भाग गई।

पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के बयान दर्ज कर गैंगरेप और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को दबोच लिया। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त से दूसरे साथी के बारे में गहनता से पूछताछ करने में जुटी है।

गाली-गलौच के बाद रिश्तेदारों ने किया अधेड़ पर प्राण घातक हमला

- तीन-चार जनों ने लाठी-डंडों से हमला कर अधेड़ को किया लहूलुहान
- मौके पर भीड़ जमा होती देख स्कॉर्पियो गाड़ी से हुए फरार आरोपी

जयपुर। नारायण विहार थाना इलाके में मामूली कहासुनी के बाद रिश्तेदारों ने अधेड़ युवक पर लाठी-डंडों से प्राण घातक हमला कर दिया और पीड़ित को बुरी तरह जख्मी करने के बाद मौके से फरार हो गए।

आरोपियों के चुगंल से मुक्त होने के बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी अपने जवाई को दी। जवाई ने मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। मेडिकल इत्तला पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

गौरतलब है कि कनक विहार, धाबास निवासी लल्लू लाल शर्मा रविवार 22 मार्च को किसी निजी स्कूल के शुभारंभ में शामिल होने आए थे। इसी दौरान रिश्तेदार मोहन लाल शर्मा श्रीराम कॉलोनी निवासी ने उसके साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौच कर दी। अन्य लोगों की समझाईश पर मोहन लाल वहां से चला गया।

कार्यक्रम समापन के बाद जैसे ही पीडित वहां से निकला तो रिश्तेदार मोहन लाल शर्मा अपने पुत्र आर्यन ,बहनोई विष्णु व एक अन्य युवक के साथ गणपति नगर में पीड़ित को रोक लिया और उसके स्कूटर की हवा निकाल दी। जिसके बाद सभी ने एक राय होकर लाठी-डंडों से पीड़ित से जानलेवा हमला कर दिया।

आरोप है की मारपीट के दौरान आरोपी रिश्तेदार मोहन लाल शर्मा ने पीड़ित के गले में पहनी हुई सोने की चेन छीन ली और उसके पुत्र आर्यन ने पीड़ित की जेब में रखे 18 हजार रुपए निकाल लिए।

चीख -पुकार की आवाज सुन कुछ लोग पीड़ित को बचाने पहुंचे तो आरोपी रिश्तेदार मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के जवाई ने उसे निजी अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

सहकारिता मंत्री ने 'क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2025' प्रदान किए

वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका

सहकारिता मंत्री गौत्तम कुमार दक ने कॉंस्टिट्यूशन क्लब जयपुर में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए।

- सहकारी समितियों में नये लोगों को भी मिले कार्य करने का समुचित अवसर : गौत्तम दक

जयपुर । सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार करने में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से लाभान्वित करने के प्रयास कर रही है। दक मंगलवार को कॉंस्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को एनसीडीसी के 'क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2025' प्रदान किए।

दक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता के महत्व को पहचाकर वर्ष 2021 में अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन कर अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद विगत 4 वर्षों में देश में सहकारी क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। सहकारी आन्दोलन आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने के संकल्प की ओर देश को ले जाने में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा पर विगत अक्टूबर माह में सहकार सदस्यता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें सहकारी समितियों के लगभग 9 लाख नये सदस्य बनाये गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में 120 से अधिक पहलें क्रियान्वित की जा रही हैं। इन पहलों को अपनाकर सहकारी समितियां सशक्त बन रही हैं। उन्होंने सहकारी समितियों द्वारा क्षेत्रीय उत्पादों का विपणन एवं निर्यात करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सहकारिता मंत्री ने सहकारी समितियों की ऑडिट एवं आमसभा समय पर करवाये जाने एवं आमसभा में सभी के सुझाव लिए जाने पर भी बल दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किशनगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष चेतन चौधरी ने कहा कि केन्द्र में अमित शाह एवं राज्य में गौतम कुमार दक के निर्देशन में सहकारी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहा है। विगत वर्षों में सहकारी समितियों में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है तथा कृषि जिंसों की समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों का जीवन स्तर सुधर रहा है।

एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक सुनील कुमार छापोला ने बताया कि संस्था द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अच्छा कार्य करने वाली समितियों को प्रत्येक दो वर्ष में राज्य स्तर पर उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र एवं 35 हजार रुपये की राशि एवं श्रेष्ठता पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र व 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। प्रारम्भ में सहकारिता मंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग व एनसीडीसी के अधिकारियों सहित सहकारी समितियों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

एनडीपीएस मामले में फरार 10 हजार की इनामी महिला गिरफ्तार

जी.आर.पी. थाना पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया

जयपुर। जीआरपी थाना पुलिस ने काफी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहीं इनामी महिला तस्कर को गिरफ्तार कर बडी सफलता हासिल की है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर महिला से फरारी काटने व सहयोग करने वालों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

पुलिस मुख्यालय ने वांछित अपराधियों की धरपकड के लिए विशेष अभियान चलाया था। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 10 हजार की इनामी महिला तस्कर शिवाली बेगम (32) को बैंगलूरु निवासी को उसके निवास स्थान पर दबोच लिया। वह एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट में काफी लंबे समय से वांछित चल रहीं थी। विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई एडीजीपी रेलवे सुष्मित विश्वास, आईजी रेलवे अजय पाल लाम्बा और जीआरपी अजमेर के पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर की गई। एडिशनल एसपी जीआरपी अजमेर और वृताधिकारी जीआरपी जयपुर के सुपरविजन में थाना प्रभारी अरुण चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था।

इनामी महिला तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम ने तकनीकी संसाधन का प्रयोग करते हुए उसे लगातार ट्रेस किया। जिसके बाद टीम में शामिल थाना प्रभारी अरुण चौधरी सहित जगदीश प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), प्रकाश चंद, रामचंद्र, माणक चंद और महिला कॉंस्टेबल सरिता ने बैंगलूरु से महिला तस्कर को दबोच लिया।